E Content for the Student of Patliputra University,

Subject – Political Science

Class – B.A.(Hons.) Part – I Paper – I

Topic – Concept of Influence, Power, Legitimacy and Authority

Dr. Umesh Chandra Shukla
Associate Prof. Political Science
R.R.S. College, Motcama.

आधुनिक राजनीति विज्ञान का स्वरूप एक अन्तर-अनुशासन विषय का हो गया है। यह मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र की अवधारणाओं पर परस्पर आवद्ध है। परम्परागत राजनीति विज्ञान की तरह यह व्यक्ति को राजनीतिक प्राणि तो मानता है किन्तु उसकी व्याख्या मनोवैज्ञानिक आधार पर करते हुए व्यक्ति में शक्ति के प्रति पाये जाने वाली इच्छाओं, आवेगों तथा भूख को मानता है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणि के रूप में समाज की अवधारणाओं परम्पराओं से जुड़ता है अतः वह राजनीतिक भूमिका में सक्रिय होता है।

इस प्रकार आधुनिक राजनीति विज्ञान का व्यवहारवादी अवधारणा यह बतलाता है कि राजनीति-विज्ञान व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। शक्ति अवधारणा के पर्वतक कैटलीन, लासवेल इसे शक्ति का विज्ञान कहते हैं। अर्थात राजनीति विज्ञान उन मानव व्यवहारों का अध्ययन करता है जो शक्ति प्रभाव एवं सत्ता से संबंधित हो।

आधुनिक राजनीति विज्ञान के अन्तर्गत अध्ययन के विषय वस्तु के रूप में प्रभाव, शक्ति, औचित्यपूर्णता तथा सत्ता की अवधारणा पर बल दिया

जाता है, जो सामान्यतः समानार्थक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तकनीकि आधार पर ये भिन्न अर्थ रखते हैं।

ये सभी शब्द व्यक्ति का व्यक्ति, समूह तथा राज्य से संबंधों को निरूपित करते हैं। इसके बावजूद इनके बीच अंतर है, जिसे निम्न आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है।

(1) प्रभाव (Influence) – प्रभाव का संबंध है एक व्यक्ति दूसरे को अपनी इच्छानुसार कुछ करने के लिए तैयार कर लेता है, जो उसके संपर्क में आये बगैर संभवतः नहीं करता। इसमें प्रभाव डालने वाला व्यक्ति प्रभावशाली तथा जिस पर प्रभाव डाला जाता है, उसे प्रभावित कहा जाता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि प्रभाव कभी भी बाध्यकारी नहीं होता है, यह प्रभावशाली की इच्छा पर नहीं बल्कि प्रभावित की इच्छा पर निर्भर करता है।

इसमें प्रभावशाली की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि प्रभावशाली व्यक्ति अपने चारित्रिक विशेषताओं, कार्यों, उद्देश्यों तथा नेतृत्व की शैली से वह बगैर किसी दबाव के, भय के, लोभ के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रभावशाली व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ न कुछ करिश्माई क्षमता होती है। महात्मा गाँधी, ईशामसीह, बुद्ध, महावीर को इस कोटि में रखा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे लोगों की संख्या काफी थी। गिरावट के बावजूद ऐसे लोग अब भी हैं, जिनका प्रभाव देखा जाता है।

(2) शक्ति (Power) – शक्ति का संबंध भी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित करना है। इसमें शक्ति के प्रयोग की संभावना से डर

और भय की स्थिति बनी रहती है। इसलिए कहा जाता है कि Power is Coercieve influence (दमनकारी प्रभाव ही शक्ति है।) व्यक्ति इसमें अपने व्यवहार का परिवर्तन शक्तिशाली के दंड के भय, लोभ, डर से करता है, अपनी इच्छा से नहीं। यह कोई आवश्यक नहीं की नग्न हिंसक शक्ति के आधार पर ही बल्कि आर्थिक, सामाजिक शक्ति का प्रयोग कर भी दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। समाज में शक्ति के प्रयोग के उदाहरण आये दिन देखने को मिलते रहते हैं।

(3) औचित्यपूर्णता (Legitimacy) — शक्ति अवैध भी होती है, जो गैर कानूनी समझी जाती है। इसका प्रयोग अपराध है। ऐसे शक्ति प्रयोगकर्त्ता दण्डित भी किये जाते हैं। किन्तु ऐसी ही शक्ति का प्रयोग कानून के आधार पर किया जाय तो उसे मानने के लिए व्यक्ति बाध्य होगा। एक अपराधी बंदूक की नोक पर व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाता है तो उसे शक्ति कहेंगे, किन्तु सरकार की पुलिस बंदूक के बल पर व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लायेगा तो वह कानूनी शक्ति होगी, वह गलत नहीं समझा जायेगा अर्थात उसकी औचित्यता प्राप्त होगी। औचित्यता के लिए तीन शर्तें रखी गई हैं—

(i) करिश्मा (Charisma)
(ii) परम्परा (Tradition
(iii) कानून (Law)

इन तीनों आधारों पर प्रयुक्त किसी शक्ति को औचित्यपूर्ण माना जा सकता है। इसके अभाव में

प्रयुक्त शक्ति केवल नग्न शक्ति है। जिसके पीछे औचित्य नहीं है वह शक्ति अपर्याप्त है।

(iv) सत्ता (Authority) — औचित्यपूर्ण शक्ति ही सत्ता है। (Legitimate Power is an authority) इस प्रकार सैद्धान्तिक व्यवस्था के अन्तर्गत सभी पदाधिकारी औचित्यपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के कारण सत्ता का उपभोग करते हैं। उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। चुनौती का अर्थ है कारण के उल्लंघन का अपराधी होना।

इस प्रकार प्रभाव, शक्ति, औचित्यपूर्णता तथा सत्ता की अवधारणा एवं उनके बीच के तकनीकि अंतर को स्पष्ट किया जा सकता है।